

:- आम सूचना :-

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (Novel Corona Virus- Covid 19) को महामारी घोषित करने के पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 12/PI/2020 दिनांकित 24.03.2020 एवं परिपत्र क्रमांक 13/PI/2020 दिनांकित 30.03.2020 की पालना में इस न्यायालय में दिनांक 14.03.2020 तक लंबित सभी प्रकरणों में नियत तिथि के स्थान पर आगामी तिथि निम्न प्रकार नियत की जाती है :-

वर्तमान नियत तिथि	आगामी नियत तिथि
01.04.2020	15.05.2020
03.04.2020	16.05.2020
04.04.2020	18.05.2020
07.04.2020	19.05.2020
08.04.2020 एवं 09.04.2020	20.05.2020
13.04.2020	21.05.2020

दिनांक 08.04.2020 को धौलपुर जिले में हनुमान जयंती का स्थानीय अवकाश कालांतर में घोषित होने के कारण दिनांक 08.04.2020 को नियत प्रकरणों की आगामी तिथि उक्तानुसार नियत की गई है। परिवर्तित तिथियां शीघ्र ही CIS पर अपडेट कर दी जायेंगी।

इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता है तो वह इस संबंध में कारणों को अंकित करते हुए नवीन प्रार्थना पत्र/आवश्यक प्रकृति के प्रकरण उक्त अवधि में आवश्यक कार्य संपादन हेतु नियुक्त किये गये जिला न्यायाधीश स्तर के पीठासीन अधिकारी महोदय के न्यायालय की ई-मेल आईडी पर इस शर्त के साथ पेश कर सकता है कि न्यायालय का नियमित कार्य सुचारू होने के पश्चात् ई-मेल पर पेश किए गए प्रकरणों/प्रार्थना पत्रों की हार्ड कॉपी पेश कर दी जावेगी।

स्वस्थ रहें और देश की प्रगति में बाधा बन रहे कोरोना वायरस को दूर कर जड से उन्मूलित करने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें।

Sol
विशेष न्यायाधीश,
(डकैती प्रभावित क्षेत्र),
धौलपुर

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, धौलपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस सूचना से समस्त अभिभाषकगण को सूचित करावें तथा अभिभाषकगण से भी अनुरोध करेंकि वे अपने पक्षकारान को प्रकरणों की तारीखों की सूचना मोबाईल आदि से दें ताकि वे न्यायालय में आने से बचें और संक्रमण मुक्त व सुरक्षित रहें।
2. आदेश की प्रति सिस्टम असिस्टेंट को प्रेषित कर लेख है कि आम सूचना न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
3. सूचना की प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकायी जावे।
4. कार्यालय प्रति।

31/3/20
विशेष न्यायाधीश,
(डकैती प्रभावित क्षेत्र),
धौलपुर